



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.02.2024	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-34 / 2023</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो०-औंरा, थाना-बगोदर Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री विकास कुमार वर्मा, जनसेवक-सह-सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित।</p> <p>आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित किया गया। टेलिफोन के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता ने भी माना की उनके शिकायतों का निदान कर दिया गया है। आयोग शिकायतकर्ता की सहमति से इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	